

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

प्रधान कार्यालय

बी-2, ऑफिस काम्पलेक्स, गौतम नगर

क्रमांक ३५८ /स्था./ सहायक ग्रेड-३/ ५११/ २०१६-१७ भोपाल, दिनांक २५-०६-२०१७

आदेश

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के अधीन तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत सहायक ग्रेड-३ (तृतीय श्रेणी) के रिक्त पदों के लिये नियंत्रक, प्रोफेशनल एंजिनियरिंग बोर्ड, भोपाल के पत्र क. पी.ई.बी./ ५-प-१/ २६८६/ २०१७ दिनांक ०२-०५-२०१७ द्वारा चयनित उम्मीदवारों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची उपलब्ध कराई गई है।

चयन सूची के अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों को म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रधान कार्यालय भोपाल में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर सहायक ग्रेड-३(तृतीय श्रेणी) के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान, (वेतन बैंड + ग्रेड पे) पी.बी. १ रूपये ५२००-२०२०० + ग्रेड पे रु. १९०० में अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति दी जाकर प्रधान कार्यालय भोपाल में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	उम्मीदवार का नाम/ पिता का नाम	गृह जिला	पता	संवर्ग/ प्राप्तांक	पदस्थापना स्थान
1	कु. सरिता सिरवैया पिता श्री जगदीश सिरवैया	टीकमगढ़ (म.प्र.)	WARD No.1 KUMARYANA GALI, PURANI TEHRI TIKAMGARH-472001	अनारक्षित/ ७०.३३	म.प्र.राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था प्रधान कार्यालय भोपाल
2	श्री लोकेन्द्र कुमार मरकाम पिता श्री हरविन्द कुमार मरकाम	छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	H.NO.126 DHUSAWANI TAMIA- 480559	अनुसूचित जनजाति / ४८.०८	म.प्र.राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था प्रधान कार्यालय भोपाल
3	श्री उमा शंकर सैनी पिता श्री रामप्रसाद सैनी	इन्दौर (म.प्र.)	1147 BAKHTAVER GALI , MHOW - 453441	ओ.बी.सी. / छी.एच. / ४३.८४	म.प्र.राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था प्रधान कार्यालय भोपाल

नियुक्ति की शर्तें

- (1) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक अस्थाई तथा अर्द्ध स्थाई सेवा नियम १९६० के नियम १२ के अनुसार इनकी सेवायें किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकती है।
- (2) नियुक्त व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान किये बिना संस्था की सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त के अन्तर्गत देय रकम उनसे भू-राजस्व की भाँति वसूल होगी।

- (3) यह नियुक्तियाँ, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ.सी. 3-15 / 2012 / 1 / 3 दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सशर्त की जा रही हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से स्वभेद समाप्त मानी जायेगी।
- (4) संस्था के कार्यालय में उपस्थिति देते समय, जिला मेडिकल बोर्ड से शारीरिक उपयुक्तता (फिटनेस) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (5) यह नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर होगी।
- (6) उम्मीदवार को उपस्थिति के समय शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ प्रस्तुत करेंगे।
- (7) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। कार्य संतोषप्रद न पाये जाने पर अथवा अन्य कारणों से परिवीक्षा काल किसी भी समय समाप्त किया जाकर सेवायें समाप्त की जा सकती है।
- (8) संस्था के अधीनस्थ कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।
- (9) यदि संबंधित द्वारा आदेश प्रसारित होने के एक माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- (10) यदि कोई प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) जमा करने के आदेश दिये जायें तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
- (11) संबंधित को सेवा पुस्तिका में निर्धारित किये गये प्रपत्र में भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति, श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखने एवं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखने तथा अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करने की शपथ लेनी होगी।
- (12) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 के उपबंधों और इसके अधीन बनाये गये नियमों का अनुपालन किया गया है।
- (13) चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता उनके द्वारा चयन में प्राप्त अंकों की वरीयता के आधार पर यथास्थान होगी।

भा०

(के.एस. टेकाम)

प्रबंध संचालक

पृ.क्र. 3409 /स्था./सहायक ग्रेड-3/511/2016-17 भोपाल, दिनांक 24-06-2017

प्रतिलिपि :-

1- स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।

- 2— स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3— बीज प्रमाणीकरण अधिकारी / बीज परीक्षण अधिकारी, समस्त की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4— प्रक्षेत्र प्रबंधक, देलमी, धार (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
- 5— श्री.....

..... की ओर
पालनार्थ।

- 6— स्टेनो / तकनीकी / कोडिंग / वि.जॉच / शिकायत / लेखा / भण्डार शाखा, प्रधान कार्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 7— व्यक्तिगत नस्ती।

प्रबंध सचिव
23/6/17